

Government of Rajasthan
Local Self Government Department
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)

G-3 Raj Mahal Residency, Near Civil Lines Railway Crossing, Jaipur

Tel No. +91 141 2222469 Fax No. +91 141 22224 Website www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/जेएसए/2019/ 41442-41553.

दिनांक:

19.7.19

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका
(ग्रुप-G 111 शहर)

विषय:-जल शक्ति अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ:-1. मुख्य सचिव, राजस्थान के पत्रांक 10535-600 दिनांक 03.07.2019

2. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 16015 दिनांक 28.06.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा देश के 36 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में दिनांक 01.07.2019 को जल शक्ति अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राजस्थान राज्य के 29 जल प्रभावित जिलों के 111 नगरीय निकायों (सूची संलग्न) को चिन्हित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रमुखतया वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का कायाकल्प, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग एवं वृक्षारोपण क्षेत्र सम्मिलित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियान के तहत बेसलाईन डाटा एवं प्रगति डाटा का moud.in/jalshakti पोर्टल पर तुरंत अपडेट करें। सभी 111 नगरीय निकायों को Login Credentials (User ID & Password) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा चुके हैं एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन भी आपको MoHUA, GoI एवं निदेशालय द्वारा ई-मेल की जा चुकी है। दिनांक 22.7.2019 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा ली जाने वाली मीटिंग के लिए आवश्यक सूचना हेतु प्रपत्र (Departmentwise Action Plan, LSG) संलग्न है, जिसे भरकर दिनांक 20.07.2019 सायं 5:00 बजे तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार-प्रपत्र।


sd-
(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 19.7.19

क्रमांक: एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/जेएसए/2019/ 41554-41606
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त),
8. जिला कलक्टर (समस्त-श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, को छोड़कर).....
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
10. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को जल शक्ति अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आई.ई.सी. प्लान तैयार करने बाबत।
11. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Department-wise action plan LSG

S.No.	Activity	Unit	Target
1	2	3	4
1	(a) Rooftop Rain Water Harvesting Structures in private buildings : (i) with storage (ii) with Recharge shaft	Nos Nos	
	(b) Rooftop Rain Water Harvesting Structures in Govt. buildings : (i) with storage (ii) with Recharge shaft	Nos Nos	
2	Reuse of Treated waste water	Nos	
3	Rejuvenation of water bodies	Nos	
4	Plantation	Nos	